



महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

प्रलिस के लयः

आम चुनाव, [भारत का नरऱवाचन आयोग](#), [परसीमन आयोग](#), [राजनीतिक दल](#), आरक्षण

मेन्स के लयः

संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे और कारण, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, मानव संसाधन, सरकारी नीतयें और हस्तक्षेप, [महिला आरक्षण अधनियम, 2023](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में संपन्न आम चुनावों में हाउस ऑफ कॉमन्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रकॉर्ड 40% देखा गया, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में अन्य देशों द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति को उजागर करता है।

- इसके वपिरीत, भारत की [संसद](#) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत 25% से काफी नीचे है।

Country wise data on women representation*

Women representation in parliament varies across different democracies



Moving forward: Trinamool Congress MPs take selfies at the Parliament House complex during the first session of the 18th Lok Sabha, on June 25. PTI

Country	% of elected women	Quota in Parliament	Quota in political parties
Sweden	46%	No	Yes
South Africa	45%	No	Yes
Australia	38%	No	Yes
France	38%	No	Yes
Germany	35%	No	Yes
U.K.	40%	No	Yes
U.S.	29%	No	No
Pakistan	16%	Yes	No
Bangladesh	20%	Yes	No

*(as of September 2023) | Source: PRS legislative research

//

भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है?

- संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत वर्ष 2004 तक 5-10% से बढ़कर वर्तमान [18वीं लोकसभा](#) में 13.6% हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह 13% है।
 - इसके अलावा, पछिले 15 वर्षों में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में भी क्रमिक वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 1957 में, केवल 45 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव में भाग लिया था; वर्ष 2024 में यह संख्या 799 थी (कुल उम्मीदवारों का 9.5%)।
 - पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक महिला सांसद (11 प्रतिनिधि) निर्वाचिता हुई हैं। 18वीं लोकसभा में तृणमूल कॉंग्रेस के लोकसभा सांसदों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 38% है।
 - यह वैश्विक औसत लगभग 25% से बहुत कम है।

Historical comparison



16th Lok Sabha (2014-2019): **64 women MPs**



17th Lok Sabha (2019-2024): **78 women MPs (highest)**



18th Lok Sabha (2024-Present): **74 women MPs**

TOI


- राज्य विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है तथा

किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला वधायक नहीं हैं।

○ यहाँ तक कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी केवल 18% महिला वधायक हैं।

- वैश्विक परिदृश्य: संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 185 देशों में से 143वें स्थान पर है।
- स्वीडन में 46%, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ब्रिटेन में 40% और अमेरिका में 29% महिला सांसद हैं।
- लैंगिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, वियतनाम, फिलीपींस, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से पीछे है।

Year ● 1990 ● 2023



राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं?

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पतिव्रततात्मक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। घरेलू ज़िम्मेदारियों और परिवार के समर्थन की कमी, साथ ही शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण में असमानताएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बाधाओं में योगदान करती हैं।
- राजनीतिक दल की गतिशीलता: पुरुष-प्रधान दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में हचिकचाते हैं, जिससे उन्हें "सुरक्षित" या "अजेय" सीटों पर उतार दिया जाता है। आंतरिक कोटा या सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की कमी महिलाओं की उम्मीदवारी में और बाधा डालती है।
- चुनाव प्रणाली की चुनौतियाँ: फ़रस्ट पासट द पोस्ट ससिस्टम में मज़बूत वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन वाले स्थापित पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। उच्च चुनाव लागत और राजनीति में अपराधीकरण तथा धनबल का प्रचलन महिलाओं को और अधिक नुकसान पहुँचाता है।

- **संस्थागत और कानूनी बाधाएँ:** स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये एक-तहार्ई आरक्षण प्रदान करने वाले **73वें और 74वें संवधान संशोधनों** के वलंबति कार्यान्वयन ने **महिलाओं के राजनीतमें प्रवेश की संभावनाओं** को सीमति कर दया है।
 - महिला आरक्षण वधियक, जसमें **संसद और राज्य वधिनसभाओं में महिलाओं के लयि 33% आरक्षण का प्रस्ताव था**, को पारति करने में बार-बार वफिलता एक अन्य प्रमुख संस्थागत बाधा है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्तिका अभाव:** प्रमुख दलों द्वारा महिलाओं के **राजनीतिक सशक्तीकरण को अपर्याप्त प्राथमकिता देना** तथा महिला आंदोलनों और नागरकि समाज की ओर से नरितर दबाव का अभाव यथास्थति को कायम रखता है।

भारतीय संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- **महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** वर्तमान में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्वकि औसत लगभग **25%** से काफी कम है। **33% आरक्षण इस अंतर को पाटने में मदद करेगा और भारतीय संसद में महिलाओं का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चति करेगा।**
- **लैंगकि समानता और समावेशी शासन को बढ़ावा देना:** भारत में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लयि सामाजकि-सांस्कृतकि, आर्थकि और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जनिमें पतिसत्तात्मक मानदंड, संसाधनों की कमी तथा लयि आधारति इसा शामिल हैं।
 - इसके अलावा, **वे भारत की आबादी का लगभग 50% हसिसा बनाते हैं**, लेकनि राजनीतिक नरिणय लेने में उनका प्रतिनिधित्व कम है। उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने से लैंगकि रूप से संवेदनशील नीतयि बनेंगी और महिलाओं के सामने आने वाली **प्रमुख चुनौतयिों का बेहतर ढंग से समाधान होगा।**
- **लोकतांत्रकि भागीदारी को मजबूत करना:** महिलाओं के लयि एक तहार्ई सीटें आरक्षति करने से राजनीतमें उनकी सक्रयि भागीदारी को बल मलिया, समावेशी लोकतंत्र मजबूत होगा और महिलाओं तथा बच्चों पर केंद्रति नीतयिों की शुरुआत होगी, जससे मानव वकिस में मदद मलियागी।
 - उदाहरण के लयि, कई गाँवों में महिला प्रतिनिधियिों ने बाल वविाह उन्मूलन, मातृ स्वास्थय में सुधार और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच सुनिश्चति करने में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभार्ई है।

भारतीय राजनीतमें महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने हेतु क्या उपाय कयि गए हैं?

- **संवधानकि संशोधन:**
 - **73वें और 74वें संवधान संशोधन (1992/1993)** द्वारा पंचायतों और नगर पालकिाओं में महिलाओं के लयि एक-तहार्ई सीटें आरक्षति की गई, जससे स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ गई।
 - **106वें संवधान संशोधन (2023)** में लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं में महिलाओं के लयि एक तहार्ई सीटें आरक्षति करने का प्रस्ताव है, हालाँकि इसका कार्यान्वयन अगले परसीमन पर नरिभर है।
 - यह आरक्षण 106वें संशोधन अधनियिम के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद लागू कयि जाएगा, जसमें परसीमन प्रक्रयिा भी शामिल होगी।
- **महिला आरक्षण वधियक:**
 - वर्ष **1996 में पहली बार पेश** कयि गए इस वधियक में लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं में महिलाओं के लयि **33% आरक्षण का प्रस्ताव था।** कई परयासों के बावजूद, प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक सहमति की कमी के कारण यह वधियक पारति नहीं हो सका।
- **राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवार:** भारत में कई राजनीतिक दलों ने चुनारों में अपने उम्मीदवारों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दया है।
 - नाम तमलिर काची (Naam Tamilar Katchi) 50% महिला उम्मीदवारों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद लोक जनशक्ती पार्टी और राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी 40-40% के साथ दूसरे स्थान पर है।
 - झारखंड मुक्ती मोर्चा, बीजू जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में क्रमशः 33%, 33% तथा 29% महिला प्रतिनिधित्व था।
 - इस बीच समाजवादी पार्टी में 20% और अखलि भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस में 25% महिला उम्मीदवार थीं।
- **सशक्तीकरण योजनाएँ और कार्यक्रम:**
 - महिला शक्ती केंद्र, **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** और **STEP** जैसी पहलों का उद्देश्य महिलाओं की सामाजकि-आर्थकि स्थति में सुधार लाना है, लेकनि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमति ही रहा है।
- **नागरकि समाज और महिला आंदोलन:**
 - महिला अधिकार समूहों, कार्यकर्त्ताओं और संगठनों द्वारा अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लयि नरितर वकालत की जा रही है।

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023

[संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023]

उद्देश्य

- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटों का आरक्षण

पृष्ठभूमि

- विधेयक को पूर्व में वर्ष 1996, 1998, 2009, 2010, 2014 में प्रस्तुत किया गया
- संबंधित समितियाँ:
 - भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1971)
 - मागरेट अल्वा की अध्यक्षता वाली समिति (1987)
 - गीता मुखर्जी समिति (1996)
 - महिलाओं की स्थिति पर समिति (2013)

प्रमुख विशेषताएँ

जोड़े गए अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 330A- लोकसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 332A- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 239AA- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 334A- आरक्षण, परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा

समयावधि:

- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (बढ़ाया जा सकता है)।

आरक्षित सीटों का रोटेशन:

- हर परिसीमन के बाद

आवश्यकता

- कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व:
 - लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 (13%)
 - औसतन, राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9% है



तर्क

पक्ष में:

- लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- निर्णयन प्रक्रिया के लिये व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा
- राजनीतिक/सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने में सहायक

विरुद्ध:

- वर्ष 2021 की जनगणना (जो अभी तक पूरी नहीं हुई है) के आधार पर परिसीमन अनिवार्य है
- राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण नहीं

आगे की राह

- राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिये आरक्षण
- महिलाओं द्वारा स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेना; सरपंच-पतिवाद पर काबू पाना



Drishti IAS

दृष्टि में प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न.1 भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित नरितर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? (2019)

प्रश्न.2 वविधिता, समता और समावेशता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/political-representation-of-women>

